


18.06.2025

पत्रावली आज पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता श्री चेतन कुमार रावल उपस्थित। अप्रार्थी संख्या एक के अधिवक्ता श्री प्रवीण कुमार छीपा उपस्थित। अप्रार्थी संख्या दो के अधिवक्ता श्री दिलीप राजपुरोहित उपस्थित। दोनों पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी का मूल निगरानी प्रार्थना पत्र निर्णित हो जाने से इस स्थगन प्रार्थना पत्र पर अब किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः ऐसी स्थिति में प्रार्थी का यह स्थगन प्रार्थना पत्र इसी स्तर पर खोरिज किया जाता है। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। पत्रावली फ़ैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।


(अल्पा चौधरी)
जिला कलक्टर,सिरोही